

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2232] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2015/आश्विन 21, 1937 No. 2232] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015/ASHVINA 21, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2809(अ).—िनम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी), राजस्थान के भरतपुर जिले में 27º7'6'' उ. - 27º12'2'' उ. अक्षांश और 77º29'5''' पू. - 77º33'9''' पू. देशांतर के बीच गंभीर और वाणगंगा के संगम पर स्थित है और 28.73 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है |

और जहाँ, राष्ट्रीय उद्यान का पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकीय महत्व है और इसे 1981 में रामासर साइट घोषित किया गया और 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है;

4361 GI/2015 (1)

और जहाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जीवजन्तु सम्पदा में धनी है जिसमे पक्षियों की 375 प्रजातियां, स्तनधारियों की 27 प्रजातियां, सरीसुप की 13 प्रजातियां, उभयचरों की 7 प्रजातियां, मछलियों की 43 प्रजातियां;

और जहाँ, राष्ट्रीय उद्यान अक्सर पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और मध्य एशिया से आने वाली प्रवासी पिक्षयों जिनमें साइबेरियन सारस की विलुप्त एवं संकटापन्न केन्द्रीय जनसंख्या सम्मिलित है, के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन क्षेत्र के रूप मे कार्य करता है;

और जहाँ, राष्ट्रीय उद्यान में वुडलैंड, सवाना घास के मैदान तथा नमभूमि के साथ फूलों की 375 प्रजाति और प्रमुख वुडलैंड प्रजाति अकाकिया निलोटिका है ;

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 500 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 500 मीटर तक विस्तार के साथ 1425 हैक्टेयर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन का सीमा विवरण उपाबंध 1 पर दिया गया है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांशों और देशान्तर के साथ इसके सीमा विवरण के साथ **उपाबंध** । पर उपाबद्ध है ।
 - (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के भरतपुर जिले के 13 ग्रामों में फैला हुआ है |
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची इसके प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध ।**। पर उपाबद्ध है |
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |
- (3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास :
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिक ;
 - (vi) राजस्व ;

- (vii) कृषि:
- (viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सनिश्चित किया जा सके।
 - (9) राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारें अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक आंचलिक महायोजना तैयार करेंगी |
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-
- (1) **भू-उपयोग** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 13,19,25,30 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में केवल एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सुचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) **प्राकृतिक स्रोत** सभी प्राकृतिक स्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजनाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति मे मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि इन क्षेत्रों में या इनके समीप विकास क्रियाकलापों को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं।
- (2) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।
 - (ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, राज्य सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा:
 - (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय अनेर बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में ही नए होटलों और विश्रामस्थलों की स्थापना की अनुज्ञा दी जाएगी |

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलत की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
 - (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपिशष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
 - (ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

- (घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाईयां -

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थातु:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिसिद्ध वि	नेयाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और	(क) नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और
	अपघर्षण इकाईयां ।	तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या
		मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या
		ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू
		आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल)
		सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के
		मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012
		का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21
		अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का
		विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने
	कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

5.	नए बृहत जलीय परियोजना और सिंचाई परियोजना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्राव ठोस अपशिष्टों का निस्तारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे; परन्तु यह और कि विद्यमान आरा मशीनों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अविध की समाप्ति पर नहीं किया जाएगा
10.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार शांत जोन की घोषणा
11.	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा की स्थापना नहीं की जाएगी
12.	पोलीथीन बैग का उपयोग ।	लागू विधि के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाए)
विनियमि	त क्रियाकलाप	
13.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी
14.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सिन्नर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सिन्नर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी (ख) प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सिन्नर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यिद कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना निदेश का अनुपालन किया जाएगा।

16.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू- जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा ।
		। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का
		निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा
		अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
17.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबिल लगाने का संवर्धन;
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा
		उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक
		उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
26.	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वायु और यानीय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुमत क्रि	याकलाप	
29	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन,	
	पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
31.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सिक्रय रूप से बढावा दिया जाए ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सिक्रेय रूप से बढावा दिया जाए ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, **राजस्थान राज्य में आने वाले** पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

राजस्थान

- (i) जिला कलेक्टर, भरतपुर अध्यक्ष;
- (ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य;
- (iii) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ -सदस्य ;
- (iv) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (v) सिंचाई विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (vi) पर्यटन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (vii) खनन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (viii) पुलिस विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (ix) नगर परिषद विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (x) उद्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (xi) यूआईटी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (xii) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य;
- (xiii) उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर सदस्य;
- (xiv) खण्ड विकास अधिकारी, सीवर सदस्य;
- (xv) अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, भरतपुर सदस्य;
- (xvi) उप-मुख्य वन्यजीन वार्डन, भरतपुर सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश शर्ते -


- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/20/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक जी'

उपाबंध –।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र



उपाबंध 🗐

पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	शहर/गांव	अक्षांश	देशांतर	तहसील
1.	जवाहर नगर कालोनी	77°30′17.22"	27°12'25.30"	भरतपुर
2.	जटोली	77°31'11.04"	27°11'28.93"	भरतपुर
3.	घसोला	77°32'45.3"	27°10′16.1"	भरतपुर
4.	खोहरी नगला	77°32′55.6"	27°09′52.6"	भरतपुर
5.	बेहनेरा	77°33′55.3"	27°09′20.9"	भरतपुर
6.	दारापुर खुर्द	77°33'50.1"	27°07'42.0"	भरतपुर
7.	दारापुर कलान	77°33'31.8"	27°07'35.2"	भरतपुर
8.	नगला बंजारा/नसवारिया	77°32′31.3"	27°07'35.4"	भरतपुर
9.	चक शौरावाली	77°31'56.32"	27°08'18.92"	भरतपुर
10.	अघापुर	77°31'21.0"	27°08′19.8"	भरतपुर
11.	रामनगर	77°29'05.8"	27°09'0.4"	भरतपुर
12.	चक रामनगर	77°29'28.5"	27°09′54.8"	भरतपुर
13.	मल्लाह	77°29'36.4"	27°11'21.7"	भरतपुर

उपाबंध ॥

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

- 1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान।
- 4. भ्-अभिलेख में सद्श्य त्रृटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2015

S.O. 2809(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected

thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, Keoladeo National Park (KNP) is situated at confluence of the Gambhir and Banganga rivers between 27°7'6'' N - 27°12'2'' N and 77°29'5'' E - 77°33'9'' E in Bharatpur district of Rajasthan and is spread over an area 28.73 square kilometers;

And whereas, the National Park has significant international ecological importance and it has been declared as a Ramsar site in 1981 and a World Heritage site in 1985;

And whereas, Keoladeo National Park has rich faunal wealth with 375 species of birds, 27 species of mammals, 13 species of reptiles, 7 species of amphibians and 43 species of fishes;

And whereas, the National Park is often referred to as Bird's Paradise and acts as a major wintering area for migratory birds from Central Asia including for rare and endangered central population of the Siberian Crane;

And whereas, the National Park has woodlands, Savanna Grasslands and wetlands with 375 species of flowering plants and the dominant woodland species is *Acacia nilotica*;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Keoladeo National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 500 meters all around the boundary of Keoladeo National Park in the State of Rajasthan as the Keoladeo National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The Eco-Sensitive Zone has an extent 500 meters all around the boundary of Keoladeo National Park and is spread across an area of 1425 hectares.
- (2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as Annexure I.
- (2) The Eco-sensitive Zone is spread across 13 villages falling in Bharatpur District of Rajasthan.
- (3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The said Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;

- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Rajasthan State Pollution Control Board;
- (ix) Irrigation; and
- (xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The said plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 19, 25, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone and in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone of Keoladeo National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities as per law:
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall declare the Eco-sensitive Zone as a Silence Zone under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;
- (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (d) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Ecosensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic**. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

- (12) **Industrial Units** .- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.
- 4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited	Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.
		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:
		Provided the existing wood-based industry may continue as

		per law:
		Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Noise Pollution.	Declaration of silence zone as per applicable laws.
11.	Solid waste disposal facility.	No solid waste disposal facility shall be established in the Eco-sensitive Zone.
12.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulate	d Activities	
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3.
		(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;
		(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder;
		(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;
		(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;
		(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;
		(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
		However, no activities that enhance erosion of the river banks should be allowed on the banks of Kukund river.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted	Activities	
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:—

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Bharatpur

: Chairman;

(ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case – Member;

- (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case Member;
- (iv) PWD -District level Officer- Member;
- (v) Irrigation District level Officer- Member;
- (vi)Tourism District level Officer- Member;
- (vii) Minint District level Officer- Member;
- (viii) Police District level Officer- Member;
- (ix) Municipal council District level Officer- Member;
- (x) Industry District level Officer- Member;
- (xi) UIT District level Officer- Member;
- (xii) Regional Officer of the State Pollution Control Board: Members;

(xiii) Sub Divisional Officer Bharatpur: Member;(xiv) Block Development Officer, Sewar: Member;(xv) Hon, Wildlife Warden Bharatpur: Member;

(xvi) Deputy Chief Wildlife Warden, Keoladeo National Park, Bharatpur : Member-Secretary.


6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the respective State as per pro- forma appended at **Annexure III**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/20/2015-ESZ-RE]

Annexure IA

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates



Opsleth -.

Annexure IB

Keoladeo Wildlife Sanctuary

Biodiversity in the Sanctuary:-

KNP is rich in faunal wealth also. 375 species of birds, 27 species of mammals, 13 species of reptiles, 7 species of amphibians, 43 species of fishes and 71 species of butterflies, more than 30 species of dragonflies and more than 30 species of spiders inhabit the park. Owing to the abundance of the birds, KNP is often referred as Bird's Paradise.

- √ Heronry in the park is formed by of 15 species of birds viz. Painted stork, Open bill stork, Grey heron, Purple heron, Night heron, Large agret, Intermediate agret, Little egret, Cattle egret, Black headed ibis, Little cormorant, Indian shag, Large cormorant, Indian darter, Eurasian spoonbill.
- √ Other birds breeding in the park are White necked stork, Black necked stork, Little green heron, Black bittern, Chestnut bittern, Yellow bittern, Sarus crane, Comb duck, Spot billed duck, Lesser whistling teal, Cotton teal, Pheasant tailed jacana, Bronze winged jacana, Purple moorhen, White breasted water hen, Painted snip, Kora, Black patridge, Grey francolin, Button bush quail, Short toed eagle, Lesser spotted eagle, Greater spotted eagle, Honey buzzard, Shikra, Sparrow hawk, Dusky horned owl, Collared scops owl, Spotted owlet, Barn owl, Mottled wood owl, Coppersmith barbet, Brownn headed barbet, Lesser flame back, Yellow fronted pied wood pecker, Brownn croowned pigmy woodpecker, White cheeked bulbul, red vented bulbul, Laughing dove, Red turtle dove, ring dove, Greater coucal, Tree pie, Paradise flycatcher, Common wood shrike, BBay backed shrike, Long tailed shrike, Jungle babbler, Large grey babbler, Common babbler, Yellow eyed babbler, Streaked fan tailed babbler, Purple sunbird, Tailor bird, Indian prinia, Ashy prinia, Pied myna, Brahmini myna, Common myna, Red munia, Indian silver bill, Spotted munia, Black drongo, Jungle crow, House crow, House sparrow, Yellow throated sparrow, Indian grey hornbill, Small minivet, Golden oriole, White Breasted kingfisher, Common kingfisher, Little green bee eater, Wire tailed swallow, Dusky crag marten, Red wattled lapwing, Yellow wattled lapwing, Indian courser, Great thick knee, Chestnut bellied sand grouse, Egyptian vulture, King vulture, Crested lark, Paddy field pipit, Rufous tailed finch lark, Pied bush chat, Baya weaver, Magpie robin, Indian robin, Brown rock chat, Indian roller, White browed wagtail, Rose ringed parakeet, Rock pigeon, Yellow footed green pigeon, Savanna nightjar, Hoopoe.
- $\sqrt{\text{KNP}}$ used to be the only wintering area for the rare and endangered central population of the Siberian Crane till 2002.
- $\sqrt{\text{Serves}}$ as a major wintering area for migratory birds from Central Asia.
- $\sqrt{42}$ species of raptors and 9 species of owls are seen in the park.

Annexure IC

LIST OF VILLAGES IN ECO-SENSITIVE ZONE :-

Sl.No.	Township/Village	Latitude	Longitude	Tehsil
1.	Jawahar Nagar Colony	77°30'17.22"	27°12'25.30"	Bharatpur
2.	Jatoli	77°31'11.04"	27°11'28.93"	Bharatpur
3.	Ghasola	77°32'45.3"	27°10′16.1"	Bharatpur
4.	Khohri Nagla	77°32'55.6"	27°09'52.6"	Bharatpur
5.	Behnera	77°33'55.3"	27°09'20.9"	Bharatpur
6.	Darapur Khurd	77°33'50.1"	27°07'42.0"	Bharatpur
7.	Darapur Kalan	77°33'31.8"	27°07'35.2"	Bharatpur
8.	Nagla Banjara/Naswaria	77°32'31.3"	27°07'35.4"	Bharatpur
9.	Chak Sheorawali	77°31'56.32"	27°08'18.92"	Bharatpur
10.	Aghapur	77°31'21.0"	27°08'19.8"	Bharatpur
11.	Ramnagar	77°29'05.8"	27°09'0.4"	Bharatpur
12.	Chak Ramnagar	77°29'28.5"	27°09'54.8"	Bharatpur
13.	Mallah	77°29'36.4"	27°11'21.7"	Bharatpur

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
 - Details may be attached as Annexure.
- Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
- Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.